निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 30/2023
दायरा दिनांकः–29.09.2023
निर्णय दिनांकः– 25.3.25

उनवान

1. बाबू आयु 63 वर्ष आत्मज अहमद खां जाति मुसलमान निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम डी 33 4बाग उमराव दुल्हा हुजर भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छवडा जिला बारां (राज०)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.3.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि यह कि ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान (राज०) मे भूमि खसरा नम्बर 67/3 रकबा 0.5564 है० अवस्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा के सम्बन्धित रेवेन्यु अधिकारियो ने सहवन से भूलवंश उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां के स्थान पर मेहमूद खां दर्ज कर दिया है जब कि प्रार्थी के आधार कार्ड मे तथा दिनांक 02/012/1976 को एलोट की गई भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम अहमद ही दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा को सम्बन्धित रेवेन्यु अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भूमि अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मेहमूद खां के स्थान पर अहमद खां दर्ज कर उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अर्थात् रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे इन्द्राज दुरूस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की अन्त में दिनांक 25/07/2023को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा द्वारा जमाबन्दी मे इन्द्राज दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत् न्यायालय एस०डी०ओ० छबड़ा में पेश करने की प्रार्थी को हिदायत दी अतः यही दिनांक 25/07/2023 विनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार कार्ड तथा दिनांक 02/12/1976 को हुये एलोट मेन्ट मे प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां ही दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मेहमूद खां के स्थान पर अहमद खां दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी मे इन्द्राज दुरूस्त कराने का वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां के स्थान पर मेहमूद खां दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा कृषि से सम्बन्धित प्रारम्भ की जा रही है योजनाओं से प्रार्थी को वंचित होना पड़ रहा है जिसकी वजह से प्रार्थी को आर्थिक क्षति भी हो रही है । राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एंव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को जयें तहसीलदार छबड़ा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 225 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कडैयानोहर पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड बाबूखान नकल आवटंन पट्टा दिनांक 02.12.1976 सरपंच ग्राम पंचायत बारई का प्रमाण पत्र प्रार्थी स्वंय का 50/– के स्टम्प पर शपथ पत्र मतदाता फोटो पहचान पत्र बाबूखान ड्राईविंग लाईसेंस बाबूखान पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा सहवन से भूलवश प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अहमद खां के स्थान पर मेहमूद खां दर्ज हो गया है प्रार्थी के आधार कार्ड तथा दिनांक 02.12.1976 को प्रार्थी को एलोट की गई। भूमि में प्रार्थी का पिता का नाम अहमद ही दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड तथा दिनांक 02.12.1976 को हुए एलोटमेन्ट में प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां दर्ज है विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम मेहमूद खां के स्थान पर अहमद खां दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां के स्थाप पर मेहमूद खां दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थी को काफी क्षति हो रही है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मेहमुद खां के स्थान पर अहमद खां दर्ज किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 225 में बाबू पुत्र मेहमुद खां दर्ज रिकार्ड है फोटो प्रति आधार कार्ड बाबू खान आवटन दिनांक 02.12.1976 में अहमद खां दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बारई के प्रमाण पत्र दिनांक 28.01.2025 के अनुसार प्रार्थी के पिता को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गांव में मेहमुद कहतें है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम अहमद खां उर्फ मेहमुद खां बताया है ड्राईविंग लाईसेन्स में बाबू खान पुत्र अहमद खां दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र में बाबूखान पुत्र अहमद खां दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम अहमद खां है तथा राजस्व रिकार्ड में मेहमूद खां है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयानोहर की जमाबन्दी खाता संख्या 232 में बाबू पुत्र मेहमुद खां जाति मुसलमान सा0देह खांखरा के नाम दर्ज है प्रार्थी अपने पिता का नाम मेहमूद खां स्थान पर अहमद खां दर्ज करवाना चाहता है। नामान्तरण नम्बर 230 से उक्त भूमि बाबू पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान सा0देह खांखरा के नाम दर्ज हुआ अर्थात भूमि का नामा0 आवन्टन में अंकित नाम के अनुसार ही हुआ। सरचंप ग्राम पचांयत बारई के प्रमाण पत्र में भी स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है। अतः इस आधार पर प्रकरण अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा